प्रतिलिपि

T2013053105 न्यायालय उपजिलाधिकारी चौरीचौरा गोरखपुर।

वाद संख्या– 23/2013
रमाशंकर
बनाम
सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधिनियम
मौजा–रूद्रापुर तप्पा–पतरा
परगना–हवेली, तहसील–चौरीचौरा
जनपद–गोरखपुर।

निर्णय

प्रस्तुत वाद दिनांक 21.10.2013 श्री रमाशंकर सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह निवासी–कुसम्ही हालमुकाम सुगही जिला–कुशीनगर द्वारा अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अ0 के तहत दाखिल करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि ग्राम–रूद्रापुर में स्थित गाटा संख्या 58मि0/0.384हे0 भूमि पर वर्तमान समय में भवन व बाउन्ड्री बना हुआ हैं। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। इस प्रकार अकृषिक भूमि घोषित किया जाय।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 13.12.2013 द्वारा यह अवगत कराया गया हैं कि गाटा संख्या 58मि0/0.384हे0 पर वर्तमान समय में भवन व बाउन्ड्री बना हैं मौंके पर बोया–जोता नही जाता है। उक्त भूमि अकृषिक रूप में प्रयोग किया जा रहा हैं। उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा कय नही की गयी है। इसलिए विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या एवं खसरा खतौनी का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता हैं कि विवादित भूमि वादी के नाम से खतौनी में अंकित है, जिसमें भवन व बाउन्ड्री बना हैं, जिसमें कृषि कार्य नही होता हैं ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नही होता है। इस प्रकार तहसीलदार की आख्या दिनांक 13.12.2013 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः ग्राम–रूद्रापुर, तप्पा–पतरा, परगना–हवेली, तहसील– चौरीचौरा, जनपद गोरखपुर के गाटा संख्या 58मि0/0.384हे0 भूमि पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक चौरीचौरा को भेजी जाय। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–

Moti Lal
(मोतीलाल सिंह)
उपजिलाधिकारी चौरीचौरा
गोरखपुर।

94
13-1-14
16-1-14
16-1-14

16.1.2014

16.1.2014

प्रमाणित
16.1.14
उप जिलाधिकारी
चौरी चौरा गोरखपुर

52